:: औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय, भीलवाड़ा ::

पीठासीन अधिकारीः **पंकज बंसल,आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)**

प्रकरण संख्या : 82 सन् 2019 एल सी आर

श्रीमती अंगूरबाला जैन पत्नी श्री मनोज कुमार पारख, पुत्री श्री घीसूलाल जी जैन,हाल निवासी–जी–403, न्यू आजाद नगर, भीलवाडा(राज0)।

..प्रार्थीया

: बनाम :

महिला अधिकारिता विभाग, जरिये सहायक निदेशक,महिला अधिकारिता विभाग(जिसका नाम पूर्व में कार्यक्रम अधिकारी,महिला अधिकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग था), चन्देरिया थाने के पीछे, चित्तौडगढ़(राज0)।

..विपक्षी

उपस्थित :

1.श्री रमेश चन्द्र चेचाणी, अधिवक्ता–प्रार्थी की ओर से।
2.श्री रघुनन्दन सिंह कानावत,राजकीय अधिवक्ता–विपक्षी की ओर से।

:: पंचाट :: दिनांक : 16.07.2026

1. प्रार्थीया ने विपक्षी के विरूद्ध सेवा पृथककरण बाबत अपना विवाद समझौता अधिकारी, भीलवाडा के समक्ष पेश किया, जहां 45 दिन की समयावधि में कोई समझौता नहीं होने के कारण प्रार्थीया ने औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (जिसे पंचाट में आगे अधि0 1947 से सम्बोधित किया जायेगा) की धारा 2 (ए) के तहत यह विवाद न्यायालय के समक्ष पेश किया।
2. प्रार्थीया की ओर से क्लेम प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया गया है कि प्रार्थीया को विपक्षी ने अपने अधिनस्थ प्रचेता के पद दिनांक 10.06. 1997 को नियोजित किया। तभी से प्रार्थीया ने पूर्ण निष्ठा लगन व ईमानदारी से दिनांक 30.06.2000 तक निरंतर एवं नियमित रूप से सेवाएं दी। प्रार्थीया की नियमित सेवाओं को विपक्षी ने उनके यहां कार्यरत अन्य प्रचेताओं के साथ दिनांक 01.07.2000 से अवैध एवं मनमाने तरीके से समाप्त कर दिया। उक्त विवाद श्रीमान समझौता अधिकारी महोदय के समक्ष उठाये जाने पर भी कोई समझौता नही होने एवं समझौता कार्यवाही में 45 दिन से अधिक समायवधि हो जाने से प्रार्थीया को इस न्यायालय के समक्ष अपना विवाद प्रस्तुत करने के निर्देश दिनांक 06.11.2019 को प्राप्त होने से प्रार्थीया ने यह क्लेम प्रार्थना पत्र पेश किया है। विपक्षी के पत्रांक जि.म.वि.अ.चि. /96–97/230 दिनांक 02.05.1997 के अनुक्रम में प्रचेता के पद पर निर्धारित शैक्षणिक व ग्रामीण क्षेत्र में काम करने की योग्यता रखने आशार्थियों में कार्यालय रोजगार मार्गदर्शन समिति भीलवाड़ा से दिनांक 09.06.1997 को अन्य के साथ प्रार्थीया का नाम विपक्षी को भिजवाया गया जिस पर विपक्षी ने दिनांक 10.06.1997 को प्रचेता के पद पर प्रार्थीया को नियुक्ति देकर मुख्यालय पंचायत समिति गंगरार रखा। विपक्षी नियोजक के यहां प्रचेता के पद का कार्य स्थाई प्रकृति

का कार्य है एवं प्रार्थीया ने विपक्षी के यहां प्रत्येक कलैण्डर वर्ष में 240 दिन से अधिक कार्य किया है तथा प्रार्थीया द्वारा सम्पादित कार्यों का रिकार्ड विपक्षी के पास है और प्रार्थीया ने दिनांक 10.06.1997 से 30.06.2000 तक निरंतर व नियमित रूप से अपनी डयूटी अंजाम दी है परंतु उसे दिनांक 01.07.2000 से विपक्षी ने अवैध तरीके से उसकी नियमित सेवा को समाप्त कर दिया। उसकी सेवा समाप्ति से पूर्व उसे एक माह का अग्रिम सूचनापत्र या इसकी एवज में एक माह की वेतन राशि अदा नहीं की, न छंटनी मुआवजा राशि अदा की। दिनांक 01.07.2000 से की गई सेवासमाप्ति के खिलाफ प्रार्थीया के साथ नियोजित अन्य प्रचेताओं द्वारा न्यायालय में प्रकरण दर्ज कराये गये तब प्रार्थीया के पास समुचित आर्थिक संसाधन नही होने से प्रार्थीया कोई कार्यवाही नही कर सकी तथा विपक्षी नियोजक को इस बारे में निवेदन करने पर बताया कि जिन प्रचेताओं ने केस दर्ज कराये हैं, उनमें होने वाले निर्णय के अनुरूप ही यदि कोई लाभ मिलना होगा तो प्रार्थीया को भी वह लाभ मिल जायेगा। इसी विश्वास में रह जाने के कारण प्रार्थीया कोई कार्यवाही नहीं कर सकी। विपक्षी ने अन्य प्रचेताओ को न्यायालय के आदेश पर कार्य पर रख लिया परंतु प्रार्थीया को नहीं रखा और समझौता अधिकारी के समक्ष भी दर्ज शिकायत पर कोई समझौता नही हुआ। प्रार्थीया ने किसी ऐजेन्सी के मार्फत कभी कोई कार्य नही किया है। जो पद समाप्त किये गये हैं, उन पर कार्यरत सभी कर्मियो को उनकी पूर्व सेवाओं की निरंतरता में नया पदनाम देते हुए निरंतर सेवाओं में रखा हुआ है। विपक्षी ने प्रार्थीया की नियमित सेवाओं को समाप्त करने से पूर्व अधि0 1947 की धारा 25–एफ एवं 25–जी के आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना की है, अतः विपक्षी का कृत्य अवैध है। वह सेवा पृथक करने की तिथि से ही बेरोजगार है। विपक्षी नियोजक के यहां प्रचेता के 11 पद स्वीकृत है जिन पर 08 प्रचेता ही ऐजेन्सी के मार्फत कार्यरत हैं। अतः प्रार्थीया ने विपक्षी द्वारा प्रचेता पद से दिनांक 01.07.2000 से प्रार्थीया को सेवापृथक किया जाना अनुचित, अवैध एवं गलत घोषित किये जाने तथा प्रार्थीया को 02 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने के पश्चात दिनांक 10.06.1999 से प्रचेता के पद पर स्थाई पद की वेतनश्रृंखला दिये जाने और पूर्व सेवाओं की निरंतरता में समस्त वेतन परिलाभों सहित पदस्थापित करने के और अब तक कम अदा की गई राशि एरियर के रूप में एकमुश्त दिलाये जाने के आदेश दिये जाने की प्रार्थना की।

3. विपक्षी की ओर से जवाब पेश कर क्लेम प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों से इंकार करते हुए जाहिर किया गया कि महिला अधिकारिता महिला एवं बाल विकास विभाग का निदेशालय है जबकि जिला महिला अधिकरण चितौडगढ़, संस्था पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्था है। प्रार्थीया की अभिकरण में नियुक्ति नही की गई बल्कि प्रचेता के कार्य हेतु निविदा के द्वारा दिनांक 09.06.1997 को रोजगार मार्गदर्शन समिति,भीलवाड़ा,छीपा बिल्डिग,भोपालगंज,भीलवाड़ा ऐजेन्सी के माध्यम से रखा गया था जिस ऐजेन्सी का ठेका 16.10.1997 को निरस्त कर बाद में 04.10.1997 को श्रम ठेकेदार कैलाश चन्द्र सोमाणी को ठेका दिया गया जिसका कार्यकाल 30.06.1998 तक रहा। नई

संविदा फर्म द्वारा प्रचेता सेवा नियम 1984 में चयन केवल संविदा के आधार पर ऐजेन्सी के द्वारा लिया गया था एवं इस फर्म का कार्यकाल दिनांक 30.06.2000 तक रहा जिसकी अवधि समाप्त होने पर संविदा पर उपलब्ध कराने से मना करने पर प्रार्थीया की सेवाएं समाप्त की गई। प्रार्थीया को कभी भी विपक्षी ने नियुक्ति नही दी। प्रार्थी विपक्षी की नियोजित श्रमिक नही है ना ही विपक्षी के नियंत्रण में प्रचेता के पद पर कार्यरत रही है। प्रार्थीया व विपक्षी के मध्य नियोक्ता एवं नियोजक के संबंध नही है। विपक्षी ने कभी भी प्रार्थीया को मजदूरी/वेतन राशि का भुगतान नही किया ना ही उसकी रसीद दी। राजस्थान सिविल सेवा(महिला विकास परियोजना में परियोजना निदेशक, परियोजना अधिकारी एवं अन्य अधिकारियो का विशेष चयन एवं सेवा की विशेष शर्तो) नियम 1984 दिनांक 23.07.2017 को निरस्त किये जा चुके है और उसमें सृजित पद भी नियमानुसार समाप्त किये जा चुके है तथा शेष को डाईंग केडर के रूप मे रखा गया है। प्रार्थीया ने कभी भी विपक्षी के यहां एक कैलेण्डर वर्ष में 240 दिन से अधिक दिवसों में कार्य नही किया। उस पर 25बी औ0वि0अधि0 के प्रावधान लागू नही होते है। प्रार्थीया द्वारा सम्पादित कार्यो का विवरण श्रम ठेकेदार के पास है, विपक्षी के पास नहीं है जिसे प्रकरण में पक्षकार नही बनाया गया है। प्रार्थीया को कोई नियुक्ति आदेश विपक्षी ने नही दिया। प्रार्थीया को विपक्षी ने किसी प्रकार के लाभ/नौकरी मिलने बाबत कभी कोई आश्वासन नही दिया। राजस्थान सरकार द्वारा पिछले कई वर्षो से अस्थाई किसी भी व्यक्ति को नियोजित करने पर रोक लगा रखी है। श्रमिक संवर्ग पर नियुक्ति पर राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 28.06.1999 से पूर्णतः प्रतिबंध लगाया हुआ है। राजस्थान लोक सेवाओं में नियुक्तियों का विनियमन और स्टाफ का सुव्यवस्थिकरण अधिनियम(रेपसार)1999 लागू हो जाने के बाद राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति को नियोजित नही किया जा सकता। रेपसार अधिनियम 1999 की धारा 11 के अनुसार इस न्यायालय को प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है। प्रार्थीया धारा 25 एफ.,जी. एवं एच. का कोई संरक्षण प्राप्त करने की अधिकारी नही है, अतः क्लेम प्रार्थना पत्र खारिज करने की प्रार्थना की गई।

4. पक्षकारान् के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में निम्न विवाद्यक कायम किये गये हैं :–

   1. आया प्रार्थी को विपक्षी द्वारा अवैध तौर पर दिनांक 01.07.2000 को सेवा से पृथक कर दिया गया है ? यदि हां तो इसका क्या प्रभाव है। – प्रार्थीया

   2. अनुतोष ?

5. प्रार्थीया की ओर से साक्ष्य में ए ड 1 श्रीमती अंगूरबाला के बयान लेखबद्ध किये गये एवं प्रदर्श 1 ता 27 दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये।
6. विपक्षी की ओर से एन.ए.डब्ल्यू.–01 राकेश कुमार तंवर के बयान लेखबद्ध किये गये एवं प्रदर्श 1 ता 18 दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये।

7. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

8. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया का दौराने बहस तर्क रहा है कि विपक्षी ने प्रार्थीया को अपने यहां प्रचेता के पद पर दिनांक 10.06.1997 को नियुक्ति दी और प्रार्थीया ने पूर्ण निष्ठा,लगन व ईमानदारी से दिनांक 30.06.2000 तक अपनी नियमित एवं निरंतर सेवाऐं दी हैं लेकिन दिनांक 01.07.2000 को विपक्षी ने प्रार्थीया को अपने यहां कार्यरत अन्य प्रचेताओं के साथ अवैध रूप से हटा कर प्रार्थीया की सेवाएं समाप्त कर दी जबकि प्रार्थीया ने प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 240 दिन से अधिक दिवस तक डयुटी दी है जिस कारण बिना नोटिस दिये, बिना कारण बताये, बिना कोई जांच कार्यवाही किये प्रार्थीया की सेवाएं समाप्त करना औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थीया को सेवा समाप्ति से पूर्व एक माह का कोई अग्रिम नोटिस नही दिया गया ना ही एक माह की वेतन राशि या छंटनी मुआवजा राशि अदा की गई और स्वयं विपक्षी ने अपने जवाब में प्रार्थीया के अपने यहां काम करने से इंकार नही किया है। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थीया के साथ हटाई गई अन्य प्रचेताओं की विपक्षी द्वारा न्यायालय के आदेश से वापस लेकर सेवाएं बहाल की गई हैं जो इस न्यायालय का आदेश माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी पुष्ट किया है परंतु प्रार्थीया के पास सेवा से हटाये जाने के समय आर्थिक संसाधन नही होने के कारण वह उस समय विधिक कार्यवाही नही कर सकी और विपक्षी द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि अन्य प्रचेताओं के संबंध में न्यायालय से जो आदेश होगा, उसका लाभ प्रार्थीया को भी दे दिया जावेगा परंतु अन्य प्रचेताओं के संबंध में आदेश होने और उन्हें वापस सेवा में लेने के बावजूद प्रार्थीया द्वारा बार बार निवेदन करने पर भी विपक्षी ने प्रार्थीया को वापस सेवा में नही लिया और न ही अन्य कोई लाभ दिया जिसके बाद प्रार्थीया ने नियमानुसार समझौता अधिकारी के समक्ष कार्यवाही भी की परंतु वहां भी विपक्षी ने समझौता नही किया जिस पर यह क्लेम पेश किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि

प्रार्थीया सेवा से पृथक किये जाने के समय से ही बेरोजगार है एवं अन्य प्रचेताओं को सेवा से पृथक किया जाना अवैध होने बाबत पूर्व में इस न्यायालय द्वारा माना जा चुका है और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी अन्य प्रचेताओ के संबंध मे निर्णय में संविदा श्रमिको का भी अधिनियम के अंतर्गत श्रमिक की श्रेणी में आना माना है। अतः उक्त आधार पर उन्होंने प्रार्थीया की सेवामुक्ति, अवैध सेवामुक्ति की श्रेणी में आने के कारण प्रार्थीया को सेवापृथक दिनांक से पुनः पूर्व पद पर समस्त वेतन परिलाभों सहित पुनर्नियोजित करने की प्रार्थना की और अपने तर्को के समर्थन मे निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया :–

01. **(2001) 2. सी.एल.आर पेज 752 मैसर्स राजस्थान कॉपरेटिव डेयरी फेडरेशन बनाम औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय,बीकानेर**
02. **(2010) एल.आई.सी. पेज 3411 डॉ प्रेमलता पुरोहित बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान**
03. **डी.बी.सिविल स्पेशल अपील नम्बर–13/2006 The Projector Director, Women And Child Devlopment Agency, Chittorgarh Vs Smt. Seema Sharma Etc.**

9. विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने इन तर्को का विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीया को विपक्षी द्वारा कोई नियुक्ति नही दी गई थी ना ही कोई नियुक्ति पत्र दिया गया एवं प्रार्थीया ऐजेन्सी के माध्यम से संविदा पर कार्यरत थी एवं ऐजेन्सी का ठेका समाप्त होने के पश्चात सभी प्रचेताओं की प्रार्थीया सहित सेवाएं स्वत समाप्त हो गई एवं विपक्षी द्वारा ना तो प्रार्थीया को नियुक्ति दी गई ना ही निकाला गया। उनका यह भी तर्क है कि अन्य प्रचेताओं के संबंध में हुए निर्णय के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की हुई है एवं वर्तमान में प्रचेता के पद समाप्त किये जा चुके है। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थीया ने विपक्षी के यहा कैलेण्डर वर्ष में 240 दिन से अधिक कार्य नही किया एवं संविदा पर होने के कारण उसको धारा 25 बी औद्योगिक विवाद अधिनियम का संरक्षण प्राप्त नही है और प्रार्थीया व विपक्षी के मध्य कभी भी नियोजक एवं श्रमिक का संबंध नही रहा है ना ही प्रार्थीया को विभाग द्वारा कोई पारिश्रमिक या वेतन दिया गया है।

उनका यह भी तर्क है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम में सेवामुक्ति के पश्चात 03 वर्ष के अंदर न्यायालय में कार्यवाही किया जाना आवश्यक प्रावधान है परंतु प्रार्थीया द्वारा सेवामुक्ति की दिनांक 01.07.2000 के पश्चात वर्ष 2019 में यह क्लेम प्रार्थना पत्र पेश किया है जो मियाद बाहर है जिस कारण प्रार्थीया कोई राहत पाने की अधिकारी नही है। उनका यह भी तर्क है कि रेपसार अधिनियम 1999 लागू होने के पश्चात राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बगैर किसी को भी नियोजित नही किया जा सकता है एवं प्रार्थीया की नियुक्ति विपक्षी द्वारा नियमानुसार विज्ञप्ति जारी कर किये जाने की कोई साक्ष्य प्रार्थीया ने पेश नही की है। अतः उक्त आधार पर उन्होंने क्लेम खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

10. उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं प्रस्तुत विधि व न्यायिक दृष्टांत का सम्मानपूर्वक अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। न्यायालय का विवाद्यकवार विवेचन निम्नानुसार है :–

<u>विवाद्यक संख्या 1 :–</u>

आया प्रार्थीया को विपक्षी द्वारा अवैध तौर पर दिनांक 01.07.2000 को सेवा से पृथक कर दिया गया है ? यदि हां तो इसका क्या प्रभाव है।?

11. विवाद्यक संख्या 1 को साबित करने का भार प्रार्थीया पर है। जहां तक प्रार्थीया को दिनांक 01.07.2000 को विपक्षी द्वारा अवैध तौर पर सेवा से पृथक करने का प्रश्न है, इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में विपक्षी के यहां दिनांक 10.06.1997 से नियोजित होना एवं दिनांक 30.06.2000 को कार्य से विपक्षी द्वारा निकाल देना अंकित किया है तथा इस संबंध में प्रार्थीया ने बतौर गवाह ए.डब्ल्यू.–01 श्रीमती माया पाण्डे ने अपने साक्ष्य हेतु प्रस्तुत शपथ पत्र में भी अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया है एवं विपक्षी की ओर से जिरह में भी इस बारे में कोई सुझाव नही दिया गया है कि प्रार्थीया ने विपक्षी के यहां दिनांक 10.06.1997 को कार्य करना प्रारंभ न कर अन्य दिनांक को कार्य करना प्रारंभ किया हो अपितु विपक्षी ने भी अपने जवाब में प्रार्थीया को

दिनांक 09.06.2000 को रोजगार मार्गदर्शन समिति,छीपा बिल्डिंग, भोपालगंज,भीलवाडा ऐजेन्सी के मार्फत रखा जाना और उक्त ऐजेन्सी का ठेका निरस्त होने और दिनांक 04.10.1997 को श्रम ठेकेदार कैलाश चन्द सोमाणी को ठेका मिलने पर उसके माध्यम से प्रार्थीया को मानदेय देना और उक्त श्रम ठेकेदार का भी ठेका समाप्त होने पर अन्य ऐजेन्सी के मार्फत प्रार्थीया का कार्य करना एवं उक्त फर्म का ठेका दिनांक 30.06.2000 को समाप्त होने पर प्रार्थीया की सेवाएं भी समाप्त हो जाना कहा है।अपनी जिरह में भी विपक्षी गवाह एन.ए. डब्ल्यू.–01–राकेश कुमार तंवर ने यह स्वीकार किया है कि प्रार्थीया ने दिनांक 10.06.1997 से कार्य करना शुरू कर दिनांक 30.06.2000 तक हमारे कार्यालय मे सेवा में रही लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि प्रार्थीया उक्त अवधि में संविदा पर थी अर्थात स्वयं विपक्षी ने प्रार्थीया का विपक्षी के यहां 10.06.1997 से 30.06.2000 तक कार्य करने से इंकार नही किया है जिस कारण यह तो प्रमाणित है कि प्रार्थीया ने विपक्षी के यहां दिनांक 10.06.1997 से 30.06.2000 तक कार्य किया है। यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थीया की ओर से अपने समर्थन में प्रदर्श 24 के रूप में समझौता अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपना आवेदन एवं प्रदर्श–25 के रूप में विपक्षी के द्वारा समझौता अधिकारी के यहां दिया जवाब पेश किया है जिसमें भी विपक्षी ने प्रार्थीया का संविदा पर कार्य करना तो कहा है परंतु प्रार्थीया ने उक्त अवधि में कार्य नही किया हो यह इंकार नही किया है एवं प्रार्थीया ने प्रदर्श 3 ता 23 अपनी उपस्थिति जो विकास अधिकारी पंचायत समिति द्वारा विभाग को भेजी गयी पेश की है । विपक्षी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में भी प्रदर्श–एम–01 लगायत प्रदर्श–एम–18 जो दस्तावेज पेश हुए हैं, वह भी प्रार्थीया के संविदा पर कार्य करने के संबंध में है, जिसमे प्रदर्श–एम–01 रोजगार मार्गदर्शन समिति द्वारा परियोजना निदेशक जिला महिला विकास अधिकरण को संविदा पर संविदा कर्मचारी उपलब्ध कराये जाने बाबत आपूर्ति पत्र है एवं प्रदर्श–एम–02 परियोजना निदेशक एवं कैलाश चन्द्र सोमाणी के मध्य संविदा पर कार्मिक उपलब्ध कराने बाबत हुआ अनुबंध पत्र है। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत

दस्तावेज प्रदर्श—एम—06 लगायत प्रदर्श—एम—08 के अवलोकन से एवं प्रदर्श—एम—12 लगायत प्रदर्श—एम—16 के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि ठेका कम्पनी द्वारा प्रार्थीया व अन्य प्रचेताओं का मानदेय भुगतान हेतु बिल पेश किया गया और विपक्षी द्वारा ठेका कम्पनी को उसका भुगतान होने के पश्चात ठेका कम्पनी द्वारा प्रार्थीया व अन्य प्रचेताओ को भुगतान किया गया। स्वयं प्रार्थीया की ओर से भी ऐसा कोई नियुक्ति पत्र या विपक्षी द्वारा भुगतान के संबंध में अपने बैंक खाते का विवरण पेश नही किया गया है जिससे यह जाहिर हो कि विपक्षी द्वारा प्रार्थीया के वेतन का भुगतान सीधे प्रार्थीया को किया जाता हो और प्रार्थीया ने अपनी जिरह मे यह स्वीकार किया है कि मुझे प्राप्त होने वाले वेतन के संबंध में किसी प्रकार का दस्तावेज इस पत्रावली में पेश नही है। अतः उभयपक्ष की मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य से यह जाहिर होता है कि प्रार्थीया ने ऐजेन्सी के माध्यम से प्रचेता के पद पर विपक्षी के यहां दिनांक 10.06.1997 से 30.06.2000 तक कार्य किया एवं विपक्षी की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य पेश नही हुई है कि प्रार्थीया ने उक्त अवधि मे एक वर्ष में 240 दिन कार्य नही किया हो, जिस कारण यह भी प्रमाणित है कि प्रार्थीया द्वारा एक वर्ष में 240 दिन से अधिक कार्य किया गया।

12. विद्वान अधिवक्ता विपक्षी का इस संबंध में यह तर्क रहा है कि प्रार्थीया संविदा पर कार्यरत थी इसलिये उसे औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत श्रमिक की श्रेणी मे नही माना जा सकता इस लिये उसे औद्योगिक विवाद अधिनिमय का संरक्षण प्राप्त नही है परंतु इस संदर्भ मे विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा प्रार्थीया के साथ ही कार्यरत अन्य प्रचेता श्रीमती सीमा शर्मा के संबंध में इस न्यायालय द्वारा दिये गये पूर्व निर्णय एवं उसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल स्पेशल अपील नम्बर—13/2006 The Projector Director, Women And Child Devlopment Agency, Chittorgarh Vs Smt. Seema Sharma Etc. निर्णय दिनांक 22.04.2014 का उल्लेख किया है जिसमें इस बिन्दू के संबंध में अन्य प्रचेता श्रीमती सीमा शर्मा को धारा 2—एस के अन्तर्गत श्रमिक की

श्रेणी में माना गया है। इस संबंध में उक्त निर्णय का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर नें प्रार्थीया के समान ही प्रचेता के पद पर कार्यरत एवं समान ऐजेन्सी के जरिये कार्यरत श्रीमती सीमा शर्मा के संबंध में यह कहा है कि –

Upon hearing learned counsel for the parties and on a consideration of the materials on record, we are inclined to sustain the plea taken on behalf of the respondent No.1. Indeed in terms of Rajasthan Act 34 of 1958, the expression "workman" in Section 2(s) of the Act includes a person employed in any industry by an employer or by a contractor in relation to execution of his contract with such an employer to perform the duties as set out therein. In the face of the pleaded stand of the appellant and the above referred amendment, there is, thus a doubt whatsoever that the respondent No.1 had been a workmen under appellant since her engagement.

अर्थात समान मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा संविदा पर कार्यरत अन्य प्रचेता को भी श्रमिक की श्रेणी में माना है। अतः विद्वान अधिवक्ता विपक्षी का यह तर्क तो मानने योग्य नही है कि प्रार्थीया अधिनियम के अंतर्गत श्रमिक की श्रेणी में नही आने के कारण उसे औद्योगिक विवाद अधिनियम का संरक्षण प्राप्त नही हो।

13. अब प्रश्न यह है कि प्रार्थीया को विपक्षी द्वारा दिनांक 01.07.2000 को अवैध रूप से सेवा से पृथक किया गया एवं यदि हां तो वह क्या राहत प्राप्त करने की अधिकारी है। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया जाये तो यह तो स्पष्ट है कि ऐजेन्सी का ठेका समाप्त होने के पश्चात दिनांक 01.07.2000 को प्रार्थीया व अन्य प्रचेता कार्यमुक्त हो गई। इस संबंध में यद्यपि प्रार्थीया या विपक्षी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही हुआ है जिससे यह जाहिर हो कि विपक्षी द्वारा प्रार्थीया की सेवाएं समाप्त की गई हो अपितु ठेका समाप्त

होने के पश्चात प्रार्थीया की सेवाएं स्वतः समाप्त होना जाहिर होता है। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया का दौराने बहस मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि अन्य प्रचेताओं के संबंध में इस न्यायालय द्वारा सेवामुक्त अवैध मानते हुए पुनः नियोजन के अधिकारी होना और सेवाएं निरंतर मानी गई है जिस आधार पर उन्होंने उक्त प्रकरण पूर्व प्रकरण से भिन्न नही होने के आधार पर प्रार्थीया को पुनः नियोजन की अधिकारिणी होना कहा है जिस संबंध में उन्होने इस न्यायालय के पूर्व में श्रीमती सीमा शर्मा प्रचेता के संबंध में दिये गये निर्णय की अपील/रिट में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल स्पेशल अपील नम्बर–13/2006 The Projector Director, Women And Child Devlopment Agency, Chittorgarh Vs Smt. Seema Sharma Etc. मे दिनांक 22.04.2014 को पारित आदेश की प्रति पेश की है। इस संबंध में उक्त निर्णय के सम्मानपूर्वक अवलोकन से यह जाहिर होता है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने इस न्यायालय के अवार्ड दिनांक 06.10.2004 एवं एस.बी.सिविल रिट पिटीशन नम्बर–5990/2005 The Projector Director, Women And Child Devlopment Agency, Chittorgarh Vs Smt. Seema Sharma Etc. निर्णय दिनांक 07.11.2005 को पुष्ट किया है परंतु यह स्पष्ट है कि संबंधित मामले में श्रीमती सीमा शर्मा प्रचेता द्वारा सेवामुक्ति के तुरंत पश्चात ही समझौता अधिकारी के यहां प्रकरण पेश किया गया जिसके पश्चात इस न्यायालय को रेफरेन्स प्राप्त होने पर केस नम्बर 169/2001 दर्ज किया गया और इस न्यायालय द्वारा दिनांक 06.10.2004 को अवार्ड पारित किया गया जबकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीया की ओर से 27.05.2019 को अर्थात सेवामुक्ति के करीब 19 वर्ष पश्चात समझौता अधिकारी के समक्ष विवाद पेश किया गया और इस न्यायालय में धारा–2ए औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 05.12.2019 को अर्थात सेवामुक्ति से 19 वर्ष से भी अधिक समय पश्चात प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। इस संबंध मे धारा–2ए औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का अवलोकन करें तो प्रावधान निम्नानुसार है–

2A. Dismissal, etc., of an individual workman to be deemed to be an industrial dispute.—

(1) Where any employer discharges, dismisses, retrenches, or otherwise terminates the services of an individual workman, any dispute or difference between that workman and his employer connected with,or arising out of, such discharge, dismissal, retrenchment or termination shall be deemed to be an industrial dispute notwithstanding that no other workman nor any union of workmen is a party to the dispute.

(2) Notwithstanding anything contained in section l0, any such workman as is specified in sub-section (1) may, make an application direct to the Labour Court or Tribunal for adjudication of the dispute referred to therein after the expiry of forty-five days from the date he has made the application to the Conciliation Officer of the appropriate Government for conciliation of the dispute, and in receipt of such application the Labour Court or Tribunal shall have powers and jurisdiction to adjudicate upon the dispute, as if it were a dispute referred to it by the appropriate Government in accordance with the provisions of this Act and all the provisions of this Act shall apply in relation to such adjudication as they apply in relation to an industrial dispute referred to it by the appropriate Government.

(3) The application referred to in sub-section (2) shall be made to the Labour Court or Tribunal before the expiry of three years from the date of discharge, dismissal, retrenchment or otherwise termination of service as specified in sub-section (1).

इसके अलावा The Industrial Disputes (Rajasthan Amendment) Act, 2014 में इसमें उपमद 4 जोडते हुए यह प्रावधान भी किया गया है कि :–

"(4) Notwithstanding anything in sub-sections (1), (2) and (3), no such dispute or difference between that workman and his employer connected with, or arising out of, such discharge, dismissal, retrenchment or termination shall be deemed to be an industrial dispute if such dispute is not raised in conciliation proceeding within a period of three years from the date of such discharge,dismissal,retrenchment or termination: Provided that an authority, as may be specified by the State Government, may consider to extend the said period of three years when the applicant workman satisfies the authority that he had sufficient cause for not raising the dispute within the period of three years.".

अर्थात औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2–ए के तहत सेवा से हटाये जाने के मामले में श्रमिक को सेवा समाप्ति की तारीख से तीन वर्ष के भीतर समझौता अधिकारी या श्रम न्यायालय के समक्ष विवाद पेश करना आवश्यक है। इस संबंध में यह स्पष्ट है कि स्वयं प्रार्थीया ने अपनी सेवा समाप्ति दिनांक 01.07.2000 को किया जाना कहा है जबकि उसके द्वारा इस न्यायालय में आवेदन/विवाद दिनांक 05.12.2019 अर्थात करीब 19 वर्ष से भी अधिक समय के पश्चात पेश किया है जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थीया द्वारा धारा 2–ए में वर्णित अवधि 03 वर्ष के भीतर अपना विवाद पेश नही किया है जो मियाद बाहर है। यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र के साथ धारा 05 मियाद अधिनियम का कोई प्रार्थना पत्र भी पेश नही है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया का इस संबंध में प्रार्थना पत्र में एवं दौराने बहस यह तर्क रहा है कि प्रार्थीया के पास आर्थिक संसाधन नही होने के कारण और अन्य प्रचेताओं द्वारा कार्यवाही करने के संबंध में विपक्षी द्वारा दिये गये आश्वासन के कारण कार्यवाही देरी से पेश की गई है परंतु प्रार्थीया के पास 19 वर्ष तक आर्थिक संसाधन नही रहे हों, ऐसी कोई साक्ष्य पेश नही हुई है। इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि निशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान भी प्रार्थीया के महिला होने के कारण उसे

उपलब्ध था एवं अन्य प्रचेता श्रीमती सीमा शर्मा के संबंध में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 06.10.2004 को अवार्ड पारित किया गया था जिसके पश्चात भी प्रार्थीया द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई एवं 19 वर्ष तक अर्थात अधिनियम की धारा 2–ए में वर्णित 03 वर्ष के अंदर कार्यवाही न करने का कोई उचित कारण प्रार्थना पत्र मे वर्णित नही है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत (2016) आई.एल.आर. कर्नाटका पेज 3041, मैसर्स एल टी सी इन्फोटेक इंडिया बनाम वैन्कटरमना मामले में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है कि अधिनियम की धारा 2–ए के अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु सेवामुक्ति की दिनांक से 03 वर्ष की अवधि आज्ञापक है एवं श्रम न्यायालय 03 वर्ष की अवधि के पश्चात पेश क्लेम आवेदन को सुनवाई नही कर सकता है। इसी प्रकार न्यायिक दृष्टांत ए.आई.आर. 2016 एस.सी. पेज 2984 Sri. Prabhakar vs Joint Director Sericulture Department में पैरा 43 में स्पष्ट रूप से कहा है कि :–

On the application of the aforesaid principle to the facts of the present case, we are of the view that High Court correctly decided the issue holding that the reference at such a belated stage i.e. after fourteen years of termination without any justifiable explanation for delay, the appropriate Government had not jurisdiction or power to make reference of a non-existing dispute.

चुंकि हस्तगत मामले में भी प्रार्थीया द्वारा 03 वर्ष के अंदर विवाद पेश नही किया गया है अपितु 19 वर्ष पश्चात आवेदन पेश किया गया है जो कि स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है एवं देरी का कोई उचित स्पष्टीकरण या उस स्पष्टीकरण के संबंध में कोई साक्ष्य भी प्रार्थीया की ओर से पेश नही हुई है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीया अन्य प्रचेता के संबंध में इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर द्वारा अपील/रिट मे पारित निर्णय का लाभ प्राप्त करने की अधिकारी नही है और मेरी विनम्र राय में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अन्य प्रचेता श्रीमती सीमा

शर्मा के संबंध में दिया गया निर्णय उक्त प्रकरण पर लागू नही होता है।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर तथा पत्रावली पर उपलब्ध समग्र साक्ष्य के अवलोकन एवं विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रार्थीया ने अपना क्लेम आवेदन पत्र अधिनियम की धारा–2–ए में वर्णित 03 वर्ष की अवधि में पेश नही किया है जिस कारण प्रार्थीया कोई राहत प्राप्त करने की अधिकारी नही है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थीया को पुनः पूर्व पद पर नियोजित होने की अधिकारी नही पाया जाता है।अतः विवाद्यक संख्या 1 प्रार्थीया के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है।

15. **अनुतोष :–** चूंकि विवाद्यक संख्या 1 प्रार्थीया के विरूद्ध निर्णीत किया गया है। अतः प्रार्थीया कोई अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी नही है।

::आदेश::

अतः प्रार्थीया श्रीमती अंगूरबाला जैन पत्नी श्री मनोज कुमार पारख, पुत्री श्री घीसूलाल जी जैन,हाल निवासी–जी–403, न्यू आजाद नगर, भीलवाडा(राज0) द्वारा क्लेम आवेदन पत्र अधिनियम की धारा–2–ए में वर्णित 03 वर्ष की अवधि में पेश नही करने के कारण प्रार्थीया कोई राहत प्राप्त करने की एवं पुनः पूर्व पद पर नियोजित होने की अधिकारी नही है।

पंचाट की प्रति राज्य सरकार को प्रकाशनार्थ भेजी जाये।

(पंकज बंसल) .
न्यायाधीश,
औद्योगिक न्यायाधिकरण .
एवं श्रम न्यायालय, भीलवाड़ा।

पंचाट आज दिनांक 16.07.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज बंसल) .
न्यायाधीश,
औद्योगिक न्यायाधिकरण .
एवं श्रम न्यायालय, भीलवाड़ा।